



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 205-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 11, 2025 (AGRAHAYANA 20, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

संख्या 22/39/2021-3टी(I).- हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) की धारा 96 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxxiii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, के साथ आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ द्वारा, नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- ये नियम हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में, नियम 67क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“67क. विभिन्न किस्म के परमिटों के अधीन विभिन्न किस्म के परिवहन वाहनों के संचालन हेतु आयुः- हरियाणा राज्य के विभिन्न किस्म के परमिटों के अधीन विभिन्न किस्म के परिवहन वाहनों के संचालन के लिए आयु निम्नानुसार होगी :-

(2898)

परिवहन वाहन

क्रम संख्या	परमिट की किस्म	अनुमत परमिट के अधीन संचालन के लिए वाहन के प्रथम पंजीकरण की तिथि से अधिकतम आय	
		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	गैर— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
1	2	3	4
(क)	अखिल भारतीय पर्यटक परमिट	पैट्रोल/सीएनजी वाहनों के मामले में 12 वर्ष	पैट्रोल/सीएनजी वाहनों के मामले में 12 वर्ष
(ख)	अखिल भारतीय पर्यटक परमिट	डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष	डीजल वाहनों के मामले में 12 वर्ष
(ग)	स्टेज कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल कैरिज, स्कूल बस सहित अन्य सभी परमिट	पैट्रोल/सीएनजी/इलैक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में 15 वर्ष डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष	15 वर्ष।

डॉ० राजा सेखर वुंदरू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 11th December, 2025

No. 22/39/2021-3T(I).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xxxiii) of sub-section (2) of section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken in consideration after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Transport Department, Civil Secretariat, Haryana, Chandigarh, with respect to the draft of the rules, before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

- These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2025.
- In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, for rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:—

“67A. Age for operational various type of transport vehicles under various type of permit— The age for operation of various type of transport vehicles under various type of permits in the State of Haryana shall be as under:—

Transport Vehicles

Serial No.	Type of Permit	Maximum age of vehicle under permit allowed to operate from the date of first registration of the vehicle	
		National Capital Region area	Non-National Capital Region Area
1	2	3	4
(a)	All India Tourist permit	12 years in case of petrol/CNG Vehicles	12 years in case of petrol/CNG vehicles
(b)	All India Tourist vehicles	10 years in case of diesel vehicles	12 years in case of diesel Permit
(c)	All other permits including stage carriage, contract carriage, Goods carriage, school buses	15 years in case of Petrol/CNG/electric/Clean fuel vehicles 10 years in case of diesel vehicle	15 years”.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.